न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 04/2017 प्रार्थना पत्र धारा 6ए

सरकार जरिये अमरेन्द्र कुमार मिश्र, प्रवर्तन अधिकारी, भीलवाडा / रायपुर –प्रार्थी	बनाम	1. श्री नटवर लाल पिता भंवरलाल बागडी निवासी बिजौलिया दुकान मालिक बागडी किराणा, भाक्करगढ चौराहा, तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा –विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित –

1. विभागीय पेरोकार – प्रार्थी की ओर से
2. विपक्षी स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांक 31.10.2017

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अतंर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का दिनांक 15.06.2017 को विपक्षी के विरूद्ध प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि दिनांक 08.06.2017 को जिला रसद अधिकारी भीलवाडा के मौखिक निर्देश पर 6.00 पी.एम. पर बिजौलिया थाने में पहुंचा जहां थानाधिकारी श्री पांचूराम ने बताया कि उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया के निर्देश पर बिजौलिया स्थित बागडी किराणा की जांच करने हेतु ए.एस.आई. एवं हैड कान्सटेबल को 1.00 पी.एम. पर भेजा। मौके पर किराणा दुकान में काले रंग के जरीकेन में 50 लीटर पेट्रोल विक्रय हेतु पाया गया । पेट्रोल के विस्फोटक पदार्थ होने एवं बागडी किराणा दुकान मालिक श्री नटवर लाल बागडी पुत्र भंवरलाल बागडी जो मौके पर दुकान में मौजूद थे एवं स्वयं को दुकान का मालिक होना बताया , द्वारा अनाधिकृत रूप से विक्रय हेतु पेट्रोल का उल्लेखित दुकान में भण्डारण किये जाने से 50 लीटर पेट्रोल से भरे जरीकेन , 2 मापा, जार को थाना बिजौलिया ले आये एवं उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया को निरीक्षण की कार्यवाही की सूचना दी । आवश्यक कार्यवाही हेतु उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया ने जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा व जिला रसद अधिकारी भीलवाडा को सूचना दी । इस प्रकार जब्तशुदा 50 लीटर पेट्रोल के साथ साथ 5 लीटर एवं 2 लीटर के दो मापा, प्लास्टिक जार से इस तथ्य की पुष्टि होती हैं कि आरोपी नटवर बागडी द्वारा पेट्रोल के अवैध एवं गैर कानूनी विक्रय हेतु उसका अनाधिकृत एवं अवैध भण्डारण किया गया । आरोपी द्वारा अवैध एवं अनाधिकृत विक्रय हेतु उसकी दुकान में गैर कानूनी रूप से 50 लीटर पेट्रोल का भण्डारण किया जाकर Motor Spirit & High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distributioin & Prevention of Malpractices) Order 2005 के खण्ड 4 एवं Rajasthan Petroleum Products (Licensing & Control) Order 1990 के

खण्ड 15 का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया। जब्त सरकार किया गया बिजौलिया के उचित मूल्य दुकानदार श्री हीरालाल खटीक पुत्र श्री चुन्नीलाल खटीक को सुपुर्दगी में दिये गये । अतः कार्यवाही संबंधी पत्रादि प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि जब्तशुदा 50 लीटर पेट्रोल मय जरीकेन, 5 लीटर एवं 2 लीटर के दो मापा, प्लास्टिक जार को राजसात करने का आदेश फरमावें । चूंकि प्रकरण के अन्तिम निस्तारण में समय लगना स्वाभाविक हैं एवं पेट्रोल ज्वलनशील, उड़नशील एवं विस्फोटक पदार्थ हैं, अतः प्रकरण का अन्तिम निस्तारण का आदेश भी फरमावें ।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19.06.2017 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षी की ओर से दिनांक 11.09.2017 को जवाब प्रस्तुत किया गया ।

विपक्षी नटवर लाल बागडी ने अपने जवाब में बताया कि प्रार्थना पत्र में समस्त तथ्य कपोलकल्पित , मनगढंत तथ्यों पर आधारित हैं। प्रार्थी ने दुकान के मालिकाना हक बाबत् कोई दस्तावेज रिकार्ड पर नहीं लिये तथा दुकान प्रार्थी की होने बाबत् कोई मौके के फोटोग्राफ नहीं लिये गये तथा न ही स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में फर्दजब्ती की कार्यवाही की गयी तथा प्रार्थना पत्र में जिन व्यक्तियों के फर्द जब्ती/पर्चा मौका पर हस्ताक्षर बताये जा रहे हैं उन व्यक्तियों की भी सकुनत, वल्दियत, आयु आदि तथ्यों बाबत पूर्णतया अभाव एवं लोप प्रकरण में विद्यमान हैं । प्रकरण में जिला रसद अधिकारी भीलवाडा द्वारा मौखिक निर्देश दिये जाने की पुष्टि बाबत कोई भी दस्तावेज इस्तगासे के साथ पेश नहीं हैं अर्थात जिला रसद अधिकारी के मौखिक निर्देश बाबत न तो उसके कोई बयान पत्रावली पर विद्यमान हैं, न ही कोई दस्तावेज इस आशय का प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। प्रकरण में यह भी स्पष्ट हैं कि 50 लीटर पेट्रोल का माप किया जाना तथा माप हेतु यंत्र का उपयोग किये जाने के तथ्यों का प्रार्थना पत्र में पूर्णतया अभाव हैं तथा साथ ही जब्त किया गया पदार्थ पेट्रोल था अथवा कोई अन्य पदार्थ इस बारे में किसी भी प्रकार की एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व फर्दजब्ती की ताईद में प्रार्थना पत्र के साथ पेश नहीं है। जो माप व जार प्रार्थी ने बरामद किये थे उसमें इनकी वैधता की कोई सील अंकित नहीं की गई हैं ऐसे माप व जार बाजार में और भी आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। उक्त पेट्रोल /पदार्थ किस पेट्रोल पम्प से क्रय किया गया था व किसके द्वारा उक्त 50 लीटर पेट्रोल /पदार्थ क्रय करके लाया गया था , न तो रसीदें प्राप्त की हैं, न ही क्रेता के बारे में कोई जानकारी पत्रावली में प्रस्तुत की हैं तथा काले रंग के जरीकेन के मालिकाना हक बाबत कोई जानकारी पत्रावली में उपलब्ध नहीं हैं तथा प्रार्थना पत्र में जो पर्चा मौका बनाया उसमें उक्त जरीकेन कहां रखा हुआ था इसके बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं दी गई । पर्चा मौका में जगह जगह कांट फांस कर ओवर राइटिंग कर रखी हैं । विपक्षी ने पेट्रोल या किसी पदार्थ का न तो अवैध रूप से विक्रय किया हैं न ही भण्डारण किया हैं, न ही प्रार्थी से कोई पदार्थ ही बरामद किया गया हैं । प्रार्थी के 2–3 खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे । उक्त हस्ताक्षर किस बात के प्रार्थी ने करवाये थे उसकी प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं हैं। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कपोलकल्पित तथ्यों पर आधारित होने से खारिज होने योग्य हैं।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी । दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं कार्यवाही संबंधी पत्रादि के संदर्भ में निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया के निर्देश पर बिजौलिया स्थित बागड़ी किराणा की जांच करने हेतु ए.एस.आई. एवं हैड कान्सटेबल को 1.00 पी.एम. पर भेजा। मौके पर किराणा दुकान में काले रंग के जरीकेन में 50 लीटर पेट्रोल विक्रय हेतु पाया गया । पेट्रोल के विस्फोटक पदार्थ होने एवं बागडी किराणा दुकान मालिक श्री नटवर लाल बागडी पुत्र भंवरलाल बागडी जो मौके पर दुकान में मौजूद थे एवं स्वयं को दुकान का मालिक होना बताया , द्वारा अनाधिकृत रूप से विक्रय हेतु पेट्रोल का उल्लेखित दुकान में भण्डारण किये जाने से 50 लीटर पेट्रोल से भरे जरीकेन , 2 मापा, जार को थाना बिजौलिया ले आये। इस प्रकार जब्तशुदा 50 लीटर पेट्रोल के साथ साथ 5 लीटर एवं 2 लीटर के दो मापा, प्लास्टिक जार से इस तथ्य की पुष्टि होती हैं कि आरोपी नटवर बागडी द्वारा पेट्रोल के अवैध एवं गैर कानूनी विक्रय हेतु उसका अनाधिकृत एवं अवैध भण्डारण किया गया । आरोपी द्वारा अवैध एवं अनाधिकृत विक्रय हेतु उसकी दुकान में गैर कानूनी रूप से 50 लीटर पेट्रोल का भण्डारण किया जाकर Motor Spirit & High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distributioin & Prevention of Malpractices) Order 2005 के खण्ड 4 एवं Rajasthan Petroleum Products (Licensing & Control) Order 1990 के खण्ड 15 का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया। जब्त सरकार किया गया बिजौलिया के उचित मूल्य दुकानदार श्री हीरालाल खटीक पुत्र श्री चुन्नीलाल खटीक को सुपुर्दगी में दिये गये । विपक्षी से जब्तशुदा 50 लीटर पेट्रोल मय जरीकेन, 5 लीटर एवं 2 लीटर के दो मापा, प्लास्टिक जार को राजसात करने की प्रार्थना की है। प्रार्थना पत्र के खण्डन में Motor Spirit & High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distributioin & Prevention of Malpractices) Order 2005 पेज नं. 274 , 230 की फोटोप्रति पेश की हैं ।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । प्रवर्तन अधिकारी के पर्चा मौका जब्ती, सुपुर्दगी से स्पष्ट होता हैं कि पेट्रोल के विस्फोटक पदार्थ होने एवं बागडी किराणा दुकान मालिक श्री नटवर लाल बागडी पुत्र भंवरलाल बागडी जो मौके पर दुकान में मौजूद थे एवं स्वयं को दुकान का मालिक होना बताया । इस प्रकार जब्तशुदा 50 लीटर पेट्रोल के साथ साथ 5 लीटर एवं 2 लीटर के दो मापा, प्लास्टिक जार से इस तथ्य की पुष्टि होती हैं कि आरोपी नटवर बागडी द्वारा पेट्रोल के अवैध एवं गैर कानूनी विक्रय हेतु उसका अनाधिकृत एवं अवैध भण्डारण किया गया । आरोपी द्वारा अवैध एवं अनाधिकृत विक्रय हेतु उसकी दुकान में गैर कानूनी रूप से 50 लीटर पेट्रोल का भण्डारण किया जाकर Motor Spirit & High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distributioin & Prevention of Malpractices) Order 2005 के खण्ड 4 एवं Rajasthan Petroleum Products (Licensing & Control) Order 1990 के खण्ड 15 का उल्लंघन किया गया। विपक्षी द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के प्रावधानों एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया जाना सिद्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्त सरकार किया गया 50 लीटर पेट्रोल मय जरीकेन, 5 लीटर एवं

2 लीटर के दो मापा, प्लास्टिक जार को राजसात किया जाना युक्तियुक्त है। अतएव –

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है एवं जब्त सरकार किया गया 50 लीटर पेट्रोल मय जरीकेन, 5 लीटर एवं 2 लीटर के दो मापा, प्लास्टिक जार जो हीरालाल पुत्र चुन्नीलाल खटीक निवासी बिजौलिया की सुपुर्दगी में हैं जिसे राजसात किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं । निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भीलवाडा को प्रेषित की जावे । जिला रसद अधिकारी भीलवाडा उक्त 50 लीटर पेट्रोल मय जरीकेन, 5 लीटर एवं 2 लीटर के दो मापा, प्लास्टिक जार का अन्तिम निस्तारण कर राशि जमा करा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

31/10/17

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा